रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2009/आश्विन 17, 1931

No. 584] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2009/ASVINA 17, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 740(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वी पंजाब शहरी किराया निर्बंधन अधिनियम, 1949 को पूर्वी पंजाब शहरी किराया निर्बंधन (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का पंजाब अधिनियम सं. 9) यथासंशोधित के रूप में, जैसा कि पंजाब राज्य में इस अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त है, पूर्वी पंजाब शहरी किराया निर्बंधन (संशोधन) अधिनियम, 2001 में निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर विस्तारित करती है, अर्थात् :-

उपांतरण

1. धारा 1 की उपधारा (1) में "पूर्वी पंजाब शहरी किराया निर्बंधन (संशोधन) अधिनियम, 2001" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ पर यथा विस्तारित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

2. धारा 2 में "पूर्वी पंजाब शहरी किराया निर्बंधन अधिनियम, 1949" शब्दों, और अंकों के पश्चात् "पूर्व पंजाब शहरी किराया निर्बंधन (चंडीगढ़ पर विस्तार) अधिनियम, 1974 द्वारा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ पर यथा विस्तारित" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

3. धारा 7 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. यू-11020/4/2008-यूटीएल]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

उपाबंध

पूर्वी पंजाब शहरी किराया निर्बंधन (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का पंजाब अधिनियम सं. 9)

पूर्वी पंजाब शहरी किराया निर्बंधन अधिनियम, 1949 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पूर्वी पंजाब शहरी किराया निर्बंधन (संशोधन) अधिनियम, 2001 है ।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

1949 के पंजाब अधिनियम सं. 3 की धारा 2 का संशोधन ।

2\. पूर्वी पंजाब शहरी किराया निर्बंधन अधिनियम, 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"(घघ) "अनिवासी भारतीय" से भारतीय मूल का ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित में से किसी भी दशा में या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से भारत से बाहर बस है -

(क) भारत से बाहर नियोजन के लिए या नियोजन प्राप्त करने के लिए ; या

(ख) भारत से बाहर कारबार चलाने के लिए या व्यवसाय के लिए ; या

(ग) किसी अन्य प्रयोजन के लिए किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में जो अनिश्चित अवधि के लिए भारत से बाहर रहने के लिए उसके आशय को उपदर्शित करती है ;"

1949 के पंजाब अधिनियम सं. 3 की धारा 13क के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन ।

3\. मूल अधिनियम में , धारा 13क के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

किसी अनिवासी भारतीय को उद्भूत आवासीय भवन या अनुसूचित भवन और /या अनिवासी भवन का तुरंत कब्जा

"13ख. (1) जहां कोई स्वामी अनिवासी भारतीय है और भारत में वापस आता है तथा यथास्थिति आवासीय भवन या अनुसूचित भवन और /या अनिवासी भवन उसके द्वारा किराए पर दिए गए हैं, उसके उपयोग के लिए अपेक्षित हैं या उसके साथ मामूली तौर से रहने वाले या उस पर आश्रित के उपयोग के लिए अपेक्षित हैं तो वह

(ख) "या विनिर्दिष्ट मकान मालिक की विधवा पुत्रवधु" शब्दों के स्थान पर "या स्वामी, जो अनिवासी भारतीय है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (5) में, --

(क) "या विनिर्दिष्ट मकान मालिक की विधवा पुत्रवधु" शब्दों के स्थान पर "या स्वामी, जो अनिवासी भारतीय है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "आवासीय भवन या अनुसूचित भवन" शब्दों के स्थान पर "आवासीय भवन अनुसूचित भवन और/या गैर-आवासीय भवन" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ग) उपधारा (8) में "आवासीय भवन या अनुसूचित भवन" शब्दों के स्थान पर यथास्थिति "आवासीय भवन अनुसूचित भवन और/या गैर-आवासीय भवन" शब्द रखे जाएंगे ; और

5. मूल अधिनियम की धारा 19 में उपधारा (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- 1949 के पंजाब अधिनियम सं. 3 की धारा 19 का संशोधन ।

" (2ख) वह स्वामी जो अनिवासी भारतीय है जिसने धारा 13ख के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में किसी आवासीय भवन या अनुसूचित भवन और/या गैर-आवासीय भवन से किसी किराएदार को बेदखल किया है । ऐसी बेदखली की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए निरंतर उस पर कब्जा नहीं रखता है या उस भवन के जिससे किराएदार को बेदखल किया गया है संपूर्ण भवन या उसके किसी भाग को उस किराएदार से भिन्न धारा 13ख की उपधारा (3) के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति को किराए पर देता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।"

6. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, — 1949 के पंजाब अधिनियम सं. 3 की अनुसूची 2 का संशोधन ।

(क) "धारा 13क" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, "धारा 13क या धारा 13ख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; और

वापस लेने का अधिकार

नियंत्रक को यथास्थिति ऐसे भवन या भवनों तुरंत कब्जे के लिए आवेदन कर सकेगा/कर सकेगी :

परंतु यह कि इस धारा के अधीन ऐसे भवन की बाबत आवेदन करने का अधिकार ऐसे भवन का स्वामी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् ही उपलब्ध होगा और ऐसे किसी स्वामी के जीवनकाल के दौरान केवल एक बार ही उपलब्ध होगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्वामी, ने एक से अधिक आवासीय भवन या अनुसूचित भवन और /या अनिवासी भवन किराए पर दिया है वहां उसके लिए यह स्वतंत्रता होगी कि वह उस उपधारा के अधीन आवासीय भवन या अनुसूचित भवन और /या अनिवासी भवन में से केवल किसी एक की बाबत उसके द्वारा चयन किए गए भवन के लिए आवेदन करे ।

(3) जहां कोई स्वामी इस धारा के अधीन किसी भवन का कब्जा वापस लेता है वहां वह उक्त भवन का कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व उसे विक्रय या किसी अन्य साधन के माध्यम से अंतरण नहीं करेगा या किराए पर नहीं देगा जिसके न हो सकने पर बेदखल किराएदार नियंत्रक को ऐसे आदेश के लिए आवेदन करेगा जिसमें यह निदेश दिया गया हो कि वह उक्त भवन का कब्जा पुनः प्राप्त करे और तदनुसार नियंत्रक आदेश करेगा ।"

1949 के पंजाब अधिनियम सं. 3 की धारा 18क का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 18 क में, --

(i) शीर्षक में "धारा 13क" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "धारा 13क या धारा 13ख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "धारा 13क" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, "धारा 13क या धारा 13ख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (4) में --

(क) "आवासीय भवन या अनुसूचित भवन" शब्दों के स्थान पर "आवासीय भवन अनुसूचित भवन और/या गैर-आवासीय भवन" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) "आवासीय भवन या अनुसूचित भवन" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं "आवासीय भवन अनुसूचित भवन और/या गैर-आवासीय भवन" शब्द रखे जाएंगे ।

7. (1) पूर्वी पंजाब शहरी किराया निर्बंधन (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का पंजाब अध्यादेश संख्यांक 10) को निरसित किया जाता है । निरसन और व्यावृत्ति ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2009

G.S.R. 740(E).— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the provisions of the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949, as amended by the East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Act, 2001 (Punjab Act No. 9 of 2001), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications in the East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Act, 2001, *namely*:-

MODIFICATIONS

1. In sub-section (1) of section 1, after the words, brackets and figures "the East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Act, 2001", the words " as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

2. In section 2, after the words and figure " the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949", the words " as extended to the Union territory of Chandigarh by the East Punjab Urban Rent Restriction (Extension to Chandigarh) Act, 1974" shall be inserted.

3. Section 7 shall be omitted.

[F. No. U-11020/4/2008-UTL]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.

3676 GI/09-2

THE ANNEXURE

THE EAST PUNJAB URBAN RENT RESTRICTION (AMENDEMENT) ACT, 2001
(PUNJAB ACT NO. 9 OF 2001)

AN

ACT

further to amend the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and comm.-encement

1. *(1)* This Act may be called the East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Act, 2001.

(2) It shall come into force at once.

Amendm-ent of section 2 of Punjab Act 3 of 1949

2. In the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(dd) "Non-resident Indian" means a person of Indian origin, who is either permanently or temporarily settled outside India in either case-

(a) for or on taking up employment outside India; or

(b) for carrying on a business or vocation outside India; or

(c) for any other purpose, in such circumstances, as would indicate his intention to stay outside India for a uncertain period; "

Insertion of new section after section 13-A in Punjab Act 3 of 1949

3. In the principal Act, after section 13-A, the following section shall be inserted namely:-

Right to recover immediate possession of residential building or scheduled building and/or non-residential building accrue to Non-resident Indian

"13-B. (1) Where an owner is a Non-Resident Indian and returns to India and the residential building or scheduled building and /or non-residential building, as the case may be, let out by him or her, is or required for his or her use, or for the use of any one ordinarily living with and dependent on him or her, he or she,

may apply to the Controller for immediate possession of such building or buildings, as the case may be:

Provided that a right to apply in respect of such a building under this section, shall be available only after a period of five years from the date of becoming the owner of such a building and shall be available only once during the life time of such an owner.

(2) Where the owner referred to in sub-section (1), has let out more than one residential building or scheduled building and /or non-residential building, it shall be open to him or her to make an application under that sub-section in respect of only one residential building or one scheduled building and/or one non-residential building, each chosen by him or her.

(3) Where an owner recovers possession of a building under this section, he or she shall not transfer it through sale or any other means or let it out before the expiry of a period of five years from the date of taking possession of the said building, failing which, the evicted tenant may apply to the Controller for an order directing that he shall be restored the possession of the said building and the Controller shall make an order accordingly."

Amendment of section 18-A of Punjab Act 3 of 1949

4. In the principal Act, in section 18-A-

(i) In the heading, for the word, figure and letter "section 13-A", the words, figures and letters "section 13-A or section 13-B" shall be substituted;

(ii) for the word, figure and letter "section 13-A", wherever occurring, the words, figures and letters "section 13-A or section 13-B" shall be substituted;

(iii) In sub-section (4)-

(a) for the words "residential building or scheduled building", the words and sign "residential building or scheduled building and/or non-residential building" shall be substituted; and

(b) after the words "or the widowed daughter-in-law of such specified landlord", the words "or the owner, who is a non-resident Indian" shall be inserted;

(iv) in sub-section (5)-

(a) after the words "or widowed daughter-in-law of such specified landlord", the words "or the owner, who is a non-resident Indian" shall be inserted; and

(b) for the words "residential building or scheduled building" the words and sign "residential building or scheduled building and/or non-residential building", shall be substituted; and

(c) in sub-section (8), for the words "residential building or scheduled building", the words and sign "residential building or scheduled building and/or non-residential building, as the case may be " shall be substituted.

Amendment of section 19 of Punjab Act 3 of 1949

5. In the principal Act, in section 19, after sub-section (2-A), the following sub-section shall be inserted, namely:-

" (2-B) The owner, who is a Non-resident Indian and who having evicted a tenant from a residential building or a scheduled building and/or non-residential building in pursuance of an order made under section 13-B, does not occupy it for a continuous period of three months from the date of such eviction, or lets out the whole or any part of such building from which the tenant was evicted to any person, other than the tenant in contravention of the provisions of sub-section (3) of section 13-B, shall be punishable with imprisonment for a term, which may extend to six months or with fine which may be extended to one thousand rupees or both."

Amendment of schedule II of Punjab Act 3 of 1949

6. In the principal Act, in Schedule II:-

(a) for the word, figure and letter "section 13-A" , wherever occurring, the words, figures and letters "section 13-A or section 13-B" shall be substituted; and

(b) for the words "residential building or scheduled building", wherever occurring, the words and sign "residential building or scheduled building and/or non-residential building" shall be substituted.

Repeal and saving

7. (1) The East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Ordinance, 2000 (Punjab Ordinance No. 10 of 2000), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.